

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ई) B- लिंक नं. 11300/2013/अलेसे-II/424

दिनांक :- 12.09.2022

कार्यालय आदेश

श्रीमती बनिता रानी, सलेअ-II (लिंक नं. 11300) पदस्थापन कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2025 के आधार पर दिनांक 06.03.2025 से 19.03.2025 तक (कुल 14 दिवस) का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 20.03.2025 से 27.03.2025 तक को राजस्थान सेवा नियम खण्ड-II के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए एवं प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर के पत्रांक 1937 दिनांक 26.04.2025 से प्राप्त उपस्थिति दिनांक 01.02.2025 से 05.03.2025 तक निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 04 में अंकित अवधि का कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय से वेतन आहरण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	वेतन आहरण अवधि	विभाग कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5
1	11300	श्रीमती बनिता रानी, सलेअ-II	दिनांक 01.02.2025 से 27.03.2025 तक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3 (ई) B- लिंक नं. 11300/2013/अलेसे-II/424

दिनांक :- 12.09.2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त उपार्जित अवकाश अवधि का इन्द्राज श्रीमती बनिता रानी, सलेअ-II की सेवापुस्तिका में उपार्जित अवकाश लेये खाते में आवश्यक रूप से इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
2. श्रीमती बनिता रानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सूची।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)